



2026:AHC:168197

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27710 सन् 2026

अशोक कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अमित कुमार श्रीवास्तव, कृष्ण गोपाल

विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं तथा यदि जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्माण के उप निदेशक के पद पर तैनात था तथा यह आरोप है कि ठेकेदार के पक्ष में 8 करोड़ रुपये

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की अतिरिक्त धनराशि जारी की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी नहीं था तथा यदि उक्त धनराशि जारी की गई है, तो इसके लिए स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी उत्तरदायी है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 14.7.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वाद के तथ्यात्मक स्वरूप पर विवाद नहीं किया।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की है, जिससे आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त प्रदर्शित हो, जो आवेदक को जमानत प्राप्त करने से वंचित करता हो।

6. राज्य का यह प्रकरण नहीं है कि यदि अभियुक्त-आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो निष्पक्ष विचारण में बाधा उत्पन्न किए जाने की संभावना है। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक ऐसा चरित्र रखता है कि उसका खुले में मात्र उपस्थित रहना साक्षियों को भयभीत करेगा अथवा ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय को विफल करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

7. जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विचारण लंबित रहने के दौरान अभियुक्त का निरोध दंडात्मक प्रकृति का नहीं हो सकता, क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषता की उपधारणा विद्यमान रहती है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसे कोई तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत नहीं की हैं, जिनसे यह प्रदर्शित हो कि अभियुक्त-आवेदक का चरित्र ऐसा है कि उसका खुले में मात्र उपस्थित रहना साक्षी को भयभीत करेगा।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने साक्षियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई युक्तियुक्त आशंका प्रस्तुत नहीं की है और न ही यह प्रदर्शित किया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो जनता/राज्य का व्यापक हित संकट में पड़ जाएगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह राज्य का प्रकरण नहीं है कि आवेदक को पूर्व में किसी अवसर पर किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

10. विपक्षी पक्षकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदक ने पूर्व में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। आगे, ऐसे कोई महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं, जिनसे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना लोकहित अथवा व्यापक समाज के हित में नहीं है।

11. ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक के फरार होने का जोखिम है, उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने की संभावना है अथवा जमानत पर रिहा किए जाने पर वह साक्षी को भयभीत करेगा।

12. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु अपना प्रकरण स्थापित किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. आवेदक **अशोक कुमार**, जो वाद अपराध संख्या 818 सन् 2019, धारा 409, 120ख भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ), थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।
- iii. आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मुक्ति न दी गई हो और/अथवा जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iv. आवेदक ऐसे किसी अपराध को कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके कारित किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।
 - v. आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
 - vii. यदि आवेदक अपने निवास का पता परिवर्तित करता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए निवास के पते की लिखित रूप से सूचना देगा।
14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति)

11 अगस्त, 2026

डी. तमांग

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।